न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 31 सन 2022

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र अमरसिह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देसराज पुत्र अमरसिह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 177/165 की कुल 2.2140हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 93/93 की कुल 10.2530हैक भूमि में वादी का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों में भूमि है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों में भूमि है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 177/165 की कुल 2.2140हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 93/93

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की कुल 10.2530हैव भूमि में वादी का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों में भूमि है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 177/165 की कुल 2.2140हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 93/93 की कुल 10.2530हैव भूमि में वादी का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों में भूमि है जिन्होने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 मे दर्ज है उसी के अनुसार भूमि दर्ज करवाने चाहते है वादी के कथनो/वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 177/165 की कुल 2.2140है मे से प0न0 343/380(1) किला न0 10/1 की 0.101हैव भूमि वादी के नाम दर्ज की जाकर शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम यथावत रहेगी इसीप्रकार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 93/93 की कुल 0.2530हैव में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि कलमजन की जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मोज चक 6 केएनएन के खाता संख्या 104/102 की भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहरसिह पुत्र अमरसिह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 देसराज पुत्र अमरसिह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 31 सन 2022 निर्णय दिनांक– 09/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 177/165 की कुल 2.2140है मे से प0न0 343/380(1) किला न0 10/1 की 0.101हैक भूमि वादी के नाम दर्ज की जाकर शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम यथावत रहेगी इसीप्रकार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 93/93 की कुल 0.2530हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कलमजन की जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मोज चक 6 केएनएन के खाता संख्या 104/102 की भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner